

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/समिति/476/

०९

भोपाल, दिनांक २०/०२/२०२४

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल ।

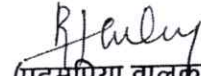
विषय :- भूमिस्वामी काष्ठ के विपणन हेतु हस्तन व्यय रुपये के स्थान पर मानव दिवस निर्धारित करने बावत् ।

—00—

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 476 वीं बैठक दिनांक 19-01-2024 में (प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन के विषय क्रमांक-02) में समिति द्वारा विचारोपरांत भूमिस्वामी/लोकवानिकी योजना के अंतर्गत काष्ठ के विपणन हेतु हस्तन व्यय रुपये 100/- प्रति घन मीटर के स्थान पर मानव दिवस निर्धारित करने एक मानव दिवस प्रति घन मीटर की दर से हस्तन व्यय निर्धारित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार


(पदमप्रिया वालकृष्णन)

पदेन सचिव,

म.प्र.शासन, वन विभाग

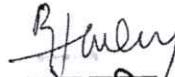
भोपाल, दिनांक २०/२/२०२४

पृ०क्र०/समिति/476/

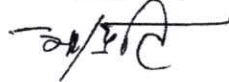
१०

प्रतिलिपि :-

- 1/ अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ महालेखाकार (क्रमांक एक) म.प्र.ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 19-01-2024 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


पदेन सचिव,

म.प्र.शासन, वन विभाग



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश, वन भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं० 0755-2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/निर्वर्तन/ 3306

भोपाल, दिनांक: 18/09/2024

प्रति,

समस्त वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश

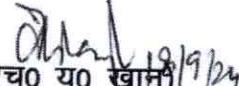
विषय :- वनोपज की विक्रय स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/समिति/480/54 दिनांक 11.09.2024

—:00:—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा वनोपज की विक्रय स्वीकृति जारी करने के संबंध में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(एच० यू० खाना) 18/9/24

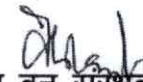
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/निर्वर्तन/ 3307

भोपाल, दिनांक: 18/09/2024

प्रतिलिपि :-

1. पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. समस्त वनमंडलाधिकारी(क्षेत्रीय/उत्पादन), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

~~निगल~~ 1

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/समिति/480/

प्रति, ✓

54

भोपाल, दिनांक 11-09/2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल ।

विषय:-वनोपज की विक्रय स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

—00—

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 480 वीं बैठक दिनांक 31-07-2024 (प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन के विषय क्रमांक-04) में वनोपज के नीलाम उपरान्त विक्रय स्वीकृति जारी करने की अधिकतम सीमा में परिवर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार हेतु रखा गया। प्रस्तावानुसार प्रदेश स्तर पर ई नीलामी के माध्यम से वनोपज के निर्वर्तन किये जाने के फलस्वरूप समिति द्वारा वनोपज की विक्रय स्वीकृति हेतु अधिकतम अवधि (25 प्रतिशत राशि प्राप्ति पश्चात्) कम करने का निर्णय निम्नानुसार लिया गया :-

1. जिन प्रकरणों में वन मण्डलाधिकारी को स्वीकृति आदेश जारी करना है, स्वीकृति की अधिकतम अवधि 5 दिवस।
2. वृत्त के भारसाधक अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त, स्वीकृति अधिकतम अवधि 10 दिवस।
3. अवरोध मूल्य रुपये 10 लाख से अधिक मूल्य पर विक्रित लाटों के प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के अनुमोदन उपरान्त स्वीकृति आदेश जारी करने, स्वीकृति अधिकतम अवधि 15 दिवस।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(रिपुचमन सिंह भदौरिया)

पदेन सचिव,

म.प्र.शासन, वन विभाग

पृ0क्र0/समिति/480/

भोपाल, दिनांक / 2024

प्रतिलिपि :-

- 1/ अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2/ महालेखाकार (क्रमांक एक) म.प्र. ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 31-07-2024 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कल

निर्देश

प्र.मु.व.स. उत्पादन



पदेन सचिव,

म.प्र.शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश, वन भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं० 0755-2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/निर्वर्तन/ 3308

भोपाल, दिनांक: 08/09/2024

प्रति,

समस्त वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश

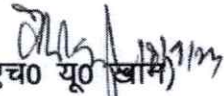
विषय :- राज्य, केन्द्र एवं राज्य शासनों के विभाग एवं उनके द्वारा संचालित उद्योग निगम संस्थान आदि को ईमारती काष्ठ/बल्ली/बांस प्रदाय हेतु वित्तीय अधिकार प्रदान करने बाबत।

संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/समिति/480/56 दिनांक 11.09.2024

---:00:---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा राज्य, केन्द्र एवं राज्य शासनों के विभाग एवं उनके द्वारा संचालित उद्योग निगम संस्थान आदि को ईमारती काष्ठ/बल्ली/बांस प्रदाय हेतु वित्तीय अधिकार प्रदान करने बाबत दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(एच० यू० चौधरी)

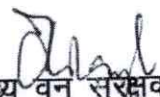
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/निर्वर्तन/ 3309

भोपाल, दिनांक: 08/09/2024

प्रतिलिपि :-

1. पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. समस्त वनमंडलाधिकारी(क्षेत्रीय/उत्पादन), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

दिनांक 12

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/समिति/480/

56

भोपाल, दिनांक 11-8 /2024

प्रति,

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल ।

विषय:- राज्य, केन्द्र एवं राज्य शासनों के विभाग एवं उनके द्वारा संचालित उद्योग निगम संस्थान आदि को ईमारती काष्ठ/बल्ली/बांस प्रदाय हेतु वित्तीय अधिकार प्रदान करने बावत्।

—00—

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 480 वीं बैठक दिनांक 31-07-2024 (प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन के विषय क्रमांक-05, पत्र क्रमांक/2582 दिनांक 10.07.2024) में प्राप्त प्रस्ताव के अनुक्रम में निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश के काष्ठागारों में प्रथम नीलामी के पश्चात् अविक्रित वनोपज को आगामी समय में विभागीय उपयोग हेतु मध्यप्रदेश शासन तथा मध्यप्रदेश शासन के निगम मंडलों के द्वारा मांग किये जाने पर अवरोध मूल्य से 10 प्रतिशत कम में वनोपज प्रदाय किये जाने की राज्य शासन एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है । तथा उक्त संबंध में केंद्र शासन एवं अन्य राज्यों तथा उनके निगमों एवं मंडलों द्वारा मांग किये जाने पर अवरोध मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक दर पर उपलब्धता के आधार पर वनोपज प्रदाय कराये जाने बावत् नियम एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकार, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक/समिति/399/ 120 दिनांक 24-09-2012 के अनुसार पूर्व की भांति यथावत रहेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार


(रामचंद्र सिंह भदौरिया)
पदेन सचिव,

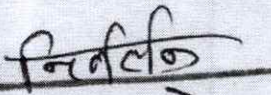
म.प्र.शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक / 2024

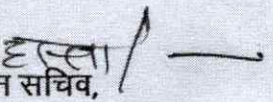
पृ0क्र0/समिति/480/

प्रतिलिपि :-

- 1/ अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ महालेखाकार (क्रमांक एक) म.प्र.ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 31-07-2024 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कक्ष 
प्र.मु.व.स. उत्पादन




पदेन सचिव,

म.प्र.शासन, वन विभाग

क्रमांक / समिति / 459 /

म0प्र0 शासन वन विभाग

ति,

24

भोपाल, दिनांक 09/03/2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)

म.प्र. भोपाल

विषय :- सागौन जलाऊ चट्टों को अन्य प्रजाति की जलाऊ चट्टों की भांति निस्तार में प्रदाय करने बावत् ।

—00—

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 459 वीं बैठक दिनांक 09-02-2021 (प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन के अतिरिक्त विषय क्रमांक-01) में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि, जहाँ संभव हो, वहाँ कूप से ही निस्तार में मिश्रित जलाऊ चट्टे प्रदाय करने की व्यवस्था के अनुरूप सागौन के जलाऊ चट्टे भी प्रदाय किये जाएँ। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में वन क्षेत्रों से संबंधित वन सुरक्षा समिति / ग्राम वन समिति / इको विकास समिति को, सागौन के जलाऊ चट्टे, कूप से कटाई एवं संग्रहण व्यय के भुगतान पर, प्रदाय किये जायेंगे । समिति आम सभा में प्रस्ताव पारित कर तथा विक्रय दर निर्धारित कर सागौन चट्टे विक्रय कर सकेगी । समिति को विक्रय से प्राप्त राशि एवं विभाग को भुगतान की गई निस्तारी दर के अन्तर की राशि समिति अपने खाते में जमा कर उसका उपयोग निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कर पाएगी । जिन सागौन के चट्टों के कूप से ही निस्तार प्रदाय अथवा समिति द्वारा निस्तारी दर पर लेने की संभावना न हो, उन्हें कूप से डिपो परिवहन किया जाएगा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(ए.के.मिश्रा)

पदेन सचिव,

म.प्र.शासन, वन विभाग

पृ0क0 / रागिति / 459 /
प्रतिलिपि:-

25

भोपाल, दिनांक 09/03/2021

- 1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग ।
- 2/ महालेखाकार (क्रमांक एक) म.प्र.ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 09.02.2021 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

पदेन सचिव,

म.प्र.शासन, वन विभाग

31/03/21
5-3-21

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कक्ष-उत्पादन), वन भवन, ब्लॉक-ए, ग्राउंड
फ्लोर, लिंक रोड नंबर-02, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश-462003

क्रमांक / उत्पा. / निर्वर्तन / 2025 / 308

भोपाल, दिनांक 24/1/25

प्रति,

समस्त वन संरक्षक / पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रीय),
समस्त वनमंडलाधिकारी, क्षेत्रीय / उत्पादन
मध्यप्रदेश

विषय:- संग्रहण वर्ष 2025 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ते के अग्रिम निर्वर्तन से संबंधित प्रस्ताव
तथा राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करने हेतु ई-नीलामी में अविक्रित रहे काष्ठ का विक्रय
भौतिक नीलाम से किये जाने बावत In Circulation अनुमति बावत।

संदर्भ:- म.प्र.शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक / FOR / 0037 / 2024 -Sec-3-10(FOR) दिनांक
24.01.2025

—:0:—

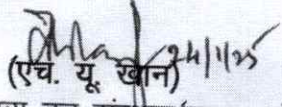
वर्तमान में म.प्र. के विभिन्न वन मंडलों के अंतर्गत आने वाले काष्ठागारों एवं बांसागारों में उपलब्ध वनोपज का ई-नीलामी के माध्यम से म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक / एफ-25-33-2017-दस-3 दिनांक 23.07.2021 के अनुसार विक्रय किया जा रहा है जिस अनुक्रम में राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हेतु ई-नीलामी में अविक्रित रहे काष्ठ एवं बांस का भौतिक नीलामी के माध्यम से विक्रय करने हेतु शासन अनुमोदन प्राप्त हुआ है जिसमें 3 बार ई नीलाम के पश्चात अविक्रित लाटों हेतु भौतिक नीलाम किया जायेगा। इस प्रक्रिया में वर्ष में अधिकतम 4 बार प्रत्येक डिपो हेतु भौतिक नीलाम की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त भौतिक नीलाम की कार्यवाही लगभग 2 वर्ष के पश्चात पुनः प्रारंभ की जा रही है अतः इस प्रक्रिया में अत्यंत सावधानी रखे जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार किये जाने वाले भौतिक नीलामों के सुचारु क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं-

1. भौतिक नीलाम के समय काष्ठागारों / बांसागारों में वृत्त के भारसाधक वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक स्वयं उपस्थित रहे जिससे कि नीलाम की व्यवस्था एवं कार्यवाही सुचारु रूप से संपन्न हो सकें।
2. नीलाम की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग कराई जाय एवं उपरोक्त वीडियो रिकार्डिंग को वन मंडल अंतर्गत सुरक्षित रखा जाय।
3. बिडशीट में दूसरे उच्चतम बोलीदार का भी नाम लिखा जाय तथा उस बोलीदार का हस्ताक्षर भी प्राप्त किया जाय।
4. नीलाम की समाप्ति के पश्चात संपूर्ण विक्रित लाटों की सूची क्रेता के नाम एवं विक्रय मूल्य सहित वन मंडल कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाय।
5. किसी भी डिपो में दिल्ली डिपो के लिए आवश्यक आरक्षण के अतिरिक्त किसी भी लाट का आरक्षण नहीं किया जाय। यदि किसी विशेष प्रयोजन से लाटों को आरक्षित किया जाना हो तो इसके लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) से पूर्व अनुमति लेकर ही आरक्षण किया जाय।
6. भौतिक नीलाम के पूर्व डिपो में उपलब्ध अविक्रित लाटों की मटेरियल लिस्ट समय से नीलाम हेतु आने वाले व्यापारियों को नियमानुसार स्वीकृत दरों पर उपलब्ध कराया जाय।

7. भौतिक नीलाम का समय प्रातः 9.00 बजे से सूर्यास्त तक रखा जाय तथा आवश्यकता होने पर आगामी दिवस में नीलाम निरंतर रखा जाय।
8. नीलाम में प्राप्त होने वाली ईएमडी एवं अन्य प्रकार की राशि की सुरक्षा हेतु पर्याप्त व्यवस्था रखी जाना सुनिश्चित करें।
9. नीलाम की नियत तिथि को नीलाम में संलग्न कर्मचारियों/अधिकारियों को किसी प्रकार का अवकाश सामान्य रूप से न दिया जाय जिससे कि नीलाम की कार्यवाही में किसी प्रकार की असुविधा न रहे।
10. भौतिक नीलाम हेतु प्रस्तावित नीलाम तिथियों का अनुमोदन समय से पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) से कराया जाय तथा समीप के वन वृत्तों/वन विकास निगम की नीलाम तिथियों को दृष्टिगत रखते हुए नीलाम तिथियां प्रस्तावित की जाये।
11. प्रत्येक भौतिक नीलाम के पश्चात आगामी 3 वार ई नीलाम की कार्यवाही पूर्व की भांति चलती रहेगी अतः भौतिक नीलाम में विक्रित लाटों की प्रविष्टि ई नीलामी पोर्टल में अनिवार्य रूप से की जाय जिससे ई नीलाम में रखे जाने वाले अविक्रित लाटों में किसी प्रकार की विसंगति न रहें।

संलग्न: म.प्र.शासन वन विभाग का
संदर्भित पत्र दिनांक 24.01.2025


(एच. यू. खान)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक FOR/0037/2024-Sec-3-10(FOR)
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 24/01/2025

सचिव,
वनोपज अंतर्विभागीय समिति,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- संग्रहण वर्ष 2025 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ते के अग्रिम निर्वर्तन से संबंधित प्रस्ताव तथा राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करने हेतु ई-नीलामी में अविक्रित रहे काष्ठ का विक्रय भौतिक नीलाम से किये जाने बाबत In Circulation अनुमति बाबत।

-0-

विषयांतर्गत संग्रहण वर्ष 2025 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ते के अग्रिम निर्वर्तन से संबंधित तथा राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करने हेतु ई-नीलामी में अविक्रित रहे काष्ठ का विक्रय भौतिक नीलाम से किये जाने बाबत प्रस्तावों पर अंतर्विभागीय समिति के 1975 में जारी कार्य संचालन नियम के तहत In Circulation अनुमति प्रदान की गई है जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सप्रेषित है।
(विभाग के भारसाधक मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित)
संलग्न: उपरोक्तानुसार

(क्षितिज कुमार)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक: 24/01/2025

पु.क्रमांक FOR/0037/2024-Sec-3-10(FOR)
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
 3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
 4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
 5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
 6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल
 7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), मध्यप्रदेश, भोपाल
 8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास), सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल
 9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, भोपाल
- संलग्न: उपरोक्तानुसार

(क्षितिज कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग